

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 207 / 2014
संस्थान दिनांक 01.04.2014

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. राजु पिता गण्णू आयु 30 वर्ष,
2. पप्पु पिता गण्णू आयु 19 वर्ष,
सभी निवासीगण- तलाईपुरा, ग्राम दवाना,
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 27.02.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 62/2014 अंतर्गत 294, 323, 324, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में दिनांक 01.04.2014 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तगण राजु एवं पप्पु के विरुद्ध दिनांक 15.03.2014 को समय रात्रि 8:00 बजे, बाजार चौक दवाना में फरियादी सुनिल को दाँत से काटकर उसे स्वैच्छया उपहति कारित करने के संबंध में धारा 324 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में दिनांक 19.12.2014 को फरियादी सुनिल व अभियुक्तगण अप्पु, पप्पु एवं राजु के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्तगण अप्पु, पप्पु एवं राजु को धारा 294, 323, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. के अपराधों से दोषमुक्त किया जा चुका है व तथा यह निर्णय फरियादी सुनिल संबंध में अभियुक्त पप्पु एवं राजु के विरुद्ध धारा 324 भा.द.सं. के संबंध में किया जा रहा है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्वीकृत है कि फरियादी सुनिल अभियुक्तों को जानता है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि विवाद 9 माह पूर्व का है जिसकी रिपोर्ट थाना ठीकरी पर प्रदर्शपी 1 की दर्ज करवाई थी तथा पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 15.03.2014 को फरियादी सुनिल रात्रि 8:00 बजे बाजार चौक में खड़ा था, उस समय अप्पु, पप्पु एवं राजु तीनों भाई आये और अभियुक्तों की बहन अक्कु के साथ भाग जाने के संबंध में अक्कु के पिता मोहन के साथ मारपीट करने के संबंध में फरियादी ने अभियुक्तों मारपीट करने से मना किया तो अभियुक्तों ने फरियादी को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया दी, गॉलिया देने से मना किया तो अभियुक्त राजु ने उसे बायें सीने पर दाँत से काट लिया तथा अभियुक्त पप्पु ने उसे बायें हाथ के अंगूठे में दाँत से काट लिया तथा अभियुक्त अप्पु ने उसे लात-घुसों से पीठ व पैर पर मारा। घटना में बीच-बचाव संतोष व गोपाल ने किया। पुलिस ने फरियादी सुनिल द्वारा दी गई घटना की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 62/2014 अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 506 सहपति धारा 34 भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान सुनिल की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त राजु, अप्पु एवं पप्पु को गिरफ्तार कर क्रमशः प्रदर्शपी 3 लगायत 5 के गिरफ्तारी पंचनामें बनाये तथा अनुसंधान के दौरान पुलिस ने साक्षीगण सुनिल, रामकुंवरबाई, शेरू, संतोष एवं गोपाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 294, 323, 324, 506 सहपटित धारा 34 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्तगण पप्पु एवं राजु ने दिनांक 15.03.2014 को समय रात्रि 8:00 बजे, बाजार चौक ग्राम दवाना में फरियादी सुनिल को दाँत से काटकर उसे स्वैच्छया उपहति कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में सुनिल (अ.सा.1), प्रधान आरक्षक सुरभानसिंह (अ.सा.2) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी सुनिल अ.सा.1 का कथन है कि लगभग 9 माह पूर्व उसका अभियुक्तों से विवाद हुआ था। अभियुक्तों ने उसे माँ-बहन की गोलिया देकर मारपीट की तथा धक्का-मुक्की होन से वह गिर गया और उसे सीने पर चोट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर की थी जो प्रदर्शपी 1 है। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में अभियुक्त राजु द्वारा सीने पर तथा पप्पु द्वारा दाँत से काट लेने की बात प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट एवं प्रदर्शपी 3 के कथन में लिखाने से इंकार किया है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे अभियुक्त राजु एवं पप्पु द्वारा दाँत से काटने की बात लिखाई थी। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसका अभियुक्तों से राजीनामा हो गया है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है।

8. प्रधान आरक्षक सुरभानसिंह अ.सा. 2 ने थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 62/2014 की विवेचना के दौरान सुनिल के बताये अनुसार प्रदर्शपी 2 का घटनास्थल का नक्शामौका पंचनामा बनाया था तथा साक्षियों एवं फरियादी के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादी ने उसे बताया था कि जमीन पर गिरने से उसे चोट आई थी अथवा उसने साक्षियों के कथन मन से लेखबद्ध किये थे। राजीनामा हो जाने के कारण किसी अन्य साक्षियों के कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराये गये हैं।

9. ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के फरियादी स्वयं ने राजीनामा होने के कारण अभियुक्तों द्वारा दाँत से काटने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं तथा राजीनामा हो जाने के कारण अन्य किसी साक्षी के कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराये गये हैं, तो अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.स. के विरुद्ध 324 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उन्हें उक्त अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

10. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तों के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए धारा 324 भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

11. प्रकरण में कोई सम्पत्ति जप्त या जमा नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

